

7

पंजीकृत डाक द्वारा

कार्यालय
सहायक आवास आयुक्त
उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद
2C/53,54&55

वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड़, लखनऊ

पत्रांक 11322
सेवा में,

/ सं० प्र० वृन्दावन /

दिनांक: 25/6/08

PR 11/6/24
28

आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गनाइजेशन
द्वारा श्री सी० एन० रावत (ले० कर्नल)
प्रोजेक्ट डायरेक्टर 56 चौराहा लाल बहादुर
शास्त्री मार्ग, लखनऊ।

विषय:- परिषद की वृन्दावन योजना लखनऊ में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 8B/GH-6 के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे आपको सूचित करते हुये हर्ष हो रहा है कि परिषद की वृन्दावन योजना लखनऊ के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की नीलामी दि० 15-05-08 में सम्मिलित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 8B/GH-6 हेतु आप द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली रु० 8,164.13 प्रति वर्ग मीटर को उप आवास आयुक्त लखनऊ जोन के पत्र सं० 581/ ल०जो० दि० 13.06.08 द्वारा स्वीकृत की सूचना प्रेषित की गयी है।

अतः ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 8B/GH-6 का प्रदेशन पत्र आपके पक्ष में अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जाता है:-

- | | | |
|-----|---|------------------------|
| (1) | ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं० 8B/GH-6 का क्षेत्रफल | 9,107.51 व०मी० |
| (क) | स्वीकृत उच्चतम बोली | रु० 8,164.13 प्र०व०मी० |
| (ख) | भूखण्ड का कुल मूल्य एवं फी-होल्ड शुल्क सहित | रु० 7,43,54,896.00 |
| (ग) | टोकन धनराशि के रूप में जमा धनराशि | रु० 73,44,296.00 |
| (घ) | प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर स्वीकृत मूल्य की 20% धनराशि जो दिनांक 30.09.2008 तक देय है (जिसमें टोकन धनराशि समायोजित है।) | रु० 75,26,683.00 ✓ |
| (ङ) | प्रदेशन पत्र की तिथि से छः माह के अन्दर देय 10% धनराशि जो दि० 31.12.08 तक देय है। | रु० 74,35,490.00 ✓ |
| (च) | प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से 9 माह के अन्दर देय 10% धनराशि जो दि० 31.03.09 तक देय है। | रु० 74,35,490.00 ✓ |
| (छ) | प्रदेशन पत्र निर्गत की तिथि से 12 माह के अन्दर देय 10% धनराशि जो दि० 30.06.09 तक देय है। | रु० 74,35,490.00 |
| (ज) | स्वीकृत मूल्य की शेष 50% धनराशि की 18% ब्याज सहित 72 मासिक किश्ते दि० 01.07.09 से देय होगी। | रु० 3,71,77,447.00 |
| (1) | प्रत्येक मासिक किश्त की धनराशि | रु० 8,48,018.00 |
| (2) | मासिक किश्तों की संख्या-72 | |
| (3) | मासिक किश्त प्रत्येक माह के प्रथम दिनांक से देय होगी। | |
| (4) | जल/सीवर संयोजन तथा नियमित जल शुल्क के सम्बन्ध में जो धनराशि परिषद् द्वारा निर्धारित की जायेगी उसका भी भुगतान करना होगा। | |

कमशः 2 पर

Project Manager [Signature] PLSPK